



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील(वैवाहिक) क्रमांक 283/2023
आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 27.06.2025
आदेश पारित करने का दिनांक 15.07.2025

1- गोविंद नारायण पिता स्व. हरमेश सिंह शर्मा, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी- बाजार पारा, वार्ड क्रमांक 14, नेताजी मार्ग, जांजगीर, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (वादी)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1- श्रीमती राखी चौबे पति श्री गोविंद नारायण, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी- राधा नगर, पो.आ. कृष्णा नगर, धमनी, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) (प्रतिवादी)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनीश तिवारी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री संतोष कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता

(युगलपीठ)

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सी ए वी आदेश

द्वारा, न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

1. वर्तमान अपील अपीलार्थी-पति द्वारा विद्वान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 133-ए/2022 (अनुलग्नक ए/1) में दिनांक 22.09.2023 को पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले अपीलार्थी-पति की याचिका को खारिज कर दिया था।



2. इस प्रकरण में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उभयपक्ष के मध्य विवाह दिनांक 02.06.2013 को राधानगर पोस्ट, कृष्णानगर, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़) में संपन्न हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-पत्नी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 10 के अधीन एक याचिका प्रस्तुत की थी। हालाँकि, चूँकि आवेदक-पति ने प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए विचारण न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

3. वर्तमान प्रकरण के तथ्य, संक्षिप्त में, यह हैं कि प्रत्यर्थी-पत्नी, अपीलार्थी-पति की विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, और उनके विवाह से कोई संतान नहीं है। विवाह के उपरांत, अपीलार्थी-पति, प्रत्यर्थी-पत्नी के पैतृक घर से लगभग 200 किमी दूर, बैकुंठपुर के चर्चा कोलियरी में पदस्थ था। प्रत्यर्थी कुछ समय के लिए अपने ससुराल में रही, लेकिन बार-बार अपने मायके लौट आई। उसने कथित तौर पर अपीलार्थी-पति पर दबाव डाला कि वह या तो उसके गाँव में स्थानांतरित हो जाए या नौकरी छोड़ दे और उसे छोड़ने की धमकी दी। अपीलार्थी-पति ने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु एक प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा वैवाहिक जीवन पुनः प्रारंभ करने का न्यायालय को आश्वासन देने के बाद उसने वापस ले लिया। बाद में, एक प्रेम संबंध के आरोपों से जुड़ा एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे अपीलार्थी-पति को सामाजिक अपमान हुआ। इसके बाद प्रत्यर्थी-पत्नी उसे बिना बताए चली गई और बाद में छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे उसने वापस ले लिया। अपीलार्थी-पति के साथ कभी-कभार कम समय के लिए रहने के बावजूद, प्रत्यर्थी-पत्नी ज्यादातर अलग ही रहती थी। वर्ष 2015 में, एक पारिवारिक विवाद के कारण प्रत्यर्थी के देवर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने 2016 में भी एक झूठी शिकायत दर्ज कराई, कुछ समय के लिए सुलह की, और फिर चली गई। जून 2016 में अपीलार्थी-पति के चांपा स्थानांतरण के बाद, वह 2017 में एक हफ्ते के लिए उसके साथ रही। तब से, उनके मध्य कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। अपीलार्थी-पति ने आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपनी आंगनबाड़ी की नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही है। अतः, उसने यह वर्तमान विवाह-विच्छेद अपील प्रस्तुत की है।

4. अपने लिखित बयान में, प्रत्यर्थी-पत्नी पक्षकार ने स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर समस्त तथ्यों से इनकार किया है और कथन किया है कि अपीलार्थी-पति केवल इसलिए विवाह-विच्छेद मांग रहा है क्योंकि वह प्रत्यर्थी-पत्नी के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। उसने अपीलार्थी-पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिए, यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।



5. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के उपरांत, वर्तमान अपीलार्थी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह-विच्छेद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया।

6. अपीलार्थी-पति के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीश तिवारी ने तर्क किया कि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार न करके विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। क्रूरता का तथ्य अपीलार्थी-पति द्वारा विधिवत साबित कर दिया गया है, हालाँकि, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इस पर अवैध रूप से विचार नहीं किया गया है। पति द्वारा विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी अपने पति के साथ सहवास करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे तर्क किया कि उन्होंने दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की धारा 9 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रत्यर्थी-पत्नी के आश्वासन पर ही उन्होंने दिनांक 25.06.2014 को आवेदन वापस ले लिया। प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने पति के पड़ोस की एक महिला के साथ अवैध संबंध होने का झूठा आरोप लगाते हुए, स्वयं प्रत्यर्थी-पत्नी ने वर्ष 2014 में अपने पति का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने आगे तर्क किया कि वर्ष 2015 में उनकी पत्नी के जीजाजी, ओम प्रकाश तिवारी की उपस्थिति में एक सामाजिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपने ही जीजा के साथ झगड़ा और मारपीट किया, जिसके कारण उन्होंने संबंधित पुलिस थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

7. अपीलार्थी-पति के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रत्यर्थी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपीलार्थी और उसकी बहन के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। मई-जून, 2017 से, वे अलग रह रहे हैं और तब से उनके मध्य कोई शारीरिक संबंध नहीं हैं। प्रत्यर्थी-पत्नी ने, अपने लिखित बयान में, अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी-पति की लैंगिक संबंध बनाने में अक्षमता के कारण वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सके, और आरोप लगाया है कि वह नपुंसक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि चूँकि पति वैवाहिक संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने विवाह-विच्छेद की आज्ञा की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

8. प्रत्यर्थी-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विवाह-विच्छेद की आज्ञा पारित करने का कोई प्रकरण नहीं बनता और प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी-पत्नी के लिखित बयान के अनुसार, न्यायालय पक्षकारों का चिकित्सकीय रिपोर्ट मंगाए। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने विवाहक विरचित करने और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, अपीलार्थी-पति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी



प्रत्यर्थी-पत्नी के खिलाफ क्रूरता और अभित्यजन के आरोपों को साबित करने में असफल रहा। पति पर अपना प्रकरण साबित करने का दायित्व था, जिसे वह साबित नहीं कर सका, फलस्वरूप, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले आवेदन को उचित रूप से खारिज किया है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया है।

10. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उभयपक्ष के मध्य विवाह दिनांक 02.06.2013 को राधानगर पोस्ट, कृष्णानगर, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़) में संपन्न हुआ था। विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले आवेदन के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए हैं और यह भी कथन किया है कि पत्नी उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाए रखने के लिए अनिच्छुक है। वह अपीलार्थी-पति के साथ लगातार नहीं रही, बल्कि उसके साथ सीमित अवधि के लिए ही रही। प्रत्यर्थी-पत्नी ने कथित तौर पर अपीलार्थी-पति पर या तो उसके मायके के पास स्थानांतरण लेने या अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ रहने का दबाव डाला। चूंकि पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में और पति शिक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत है, उसने अपीलार्थी-पति के साथ रहने में अनिच्छा दिखाई है।

11. जब पत्नी ने पति के साथ सहवास करने से इनकार कर दिया, तो उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, प्रत्यर्थी-पत्नी से यह आश्वासन मिलने पर कि वह सहवास फिर से शुरू करेगी, पति ने उक्त आवेदन वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों और उभयपक्ष के कथनों के परिशीलन से, ऐसा प्रतीत होता है कि पत्नी ने पति पर यह दावा करते हुए आरोप लगाया कि वह नपुंसक है और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने में अक्षम है। ऐसे आरोपों के बावजूद, पति ने प्रकरण को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया। पति का कथन आ.सा.-02 के साक्ष्यों के साथ-साथ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अधीन प्रस्तुत पूर्व आवेदन से संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित है। प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान की गहन पुनर्विलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि उसने पति के खिलाफ नपुंसकता के गंभीर आरोप लगाए थे, जो पति द्वारा विवाह-विच्छेद की आज्ञा मांगने का आधार बन गया।

12. अपने अभिसाक्ष्य में, पत्नी ने यह भी कथन किया कि उसे विवाह के प्रारंभ से ही पति की शारीरिक संबंध बनाने में कथित अक्षमता के बारे में पता चला गया था। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उसने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि



नपुंसकता के दावे का समर्थन करने के लिए कोई चिकित्सीय प्रमाण नहीं है। पुलिस थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसने स्वीकार किया कि शिकायत पति और उसकी बहन द्वारा प्रताड़ना के कारण दर्ज कराई गई थी।

13. पत्नी के साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्थिति स्पष्ट है कि पति और पत्नी 2017 से साथ नहीं रह रहे हैं और तब से उनका कोई वैवाहिक जीवन नहीं बीता है। विवाह के उपरांत भी, उनकी **कोई संतान नहीं हुई**। पत्नी द्वारा पति की नपुंसकता के संबंध में लगाया गया आरोप क्रूरता का प्रतीक है, विशेषतया तब जब प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा नपुंसकता के दावे के समर्थन में कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

14. नपुंसकता का निराधार आरोप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन, विशेष रूप से क्रूरता की अवधारणा के अन्तर्गत, विवाह-विच्छेद का आधार बन सकता है। ऐसे आरोप लगाना, विशेष रूप से बिना किसी साक्ष्य के, मानसिक क्रूरता माना जा सकता है, जिसे विवाह-विच्छेद के लिए एक वैध आधार माना जाता है। यदि एक पति/पत्नी दूसरे की नपुंसकता के बारे में निराधार दावा करते हैं, तो इससे गंभीर भावनात्मक संकट, अपमान और आरोपी पति/पत्नी की प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यह विचार में रखना महत्वपूर्ण है कि इस विधिक संदर्भ में क्रूरता के लिए शारीरिक दुर्व्यवहार या हिंसा आवश्यक नहीं है। झूठे और निराधार आरोपों सहित मानसिक क्रूरता, विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है। जब किसी पति/पत्नी पर नपुंसकता का आरोप लगाया जाता है, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार आरोप लगाने वाले पर होता है। उन्हें विश्वसनीय साक्ष्य के साथ दावे को प्रमाणित करना आवश्यक है। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, और आरोप साबित नहीं होता है, तो इसे निराधार माना जाता है। इस प्रकार के निराधार आरोप का आरोपी पति/पत्नी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे भावनात्मक आघात और सामाजिक कलंक लग सकता है। कई निर्णयों में, न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण आरोप, विशेष रूप से पति/पत्नी की लैंगिक क्षमता पर आघात करने वाले आरोप, मानसिक क्रूरता का गठन करते हैं। इसलिए, यदि यह स्थापित हो जाता है कि नपुंसकता का आरोप बिना किसी साक्ष्य के लगाया गया था और साबित नहीं होता है, तो यह मानसिक क्रूरता के समान है, और पीड़ित पति/पत्नी इस आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग कर सकते हैं।

15. जहाँ तक अपीलार्थी-पति के विरुद्ध पत्नी के इस आरोप का प्रश्न है कि वह नपुंसक है, ऐसा बेबुनियाद और निराधार दावा क्रूरता के समान है। ये आरोप न केवल गंभीर मानसिक उत्पीड़न का



कारण बनते हैं, बल्कि अपीलार्थी की अपने मित्रों, जनता और समग्र समाज के बीच सम्मान और प्रतिष्ठा को भी धूमिल करते हैं।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने वी. भगत विरुद्ध डी. भगत¹ के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:—

धारा 13(1)(ia) में मानसिक क्रूरता को व्यापक रूप से उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्षकार को ऐसी मानसिक पीड़ा और कष्ट पहुँचाता है जिससे उस पक्षकार के लिए दूसरे पक्षकार के साथ रहना संभव नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षकारों से युक्तियुक्त रूप से एक साथ रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पीड़ित पक्षकार को युक्तियुक्त रूप से ऐसे आचरण को सहन करने और दूसरे पक्षकार के साथ रहना जारी रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता ऐसी है जिससे याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय, पक्षकारों की सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे रहते हैं, पक्षकारों के साथ रहने की संभावना या अन्यथा यदि वे पहले से ही अलग रह रहे हैं और अन्य सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में रखना होगा, जिन्हें विस्तृत रूप से वर्णन करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक प्रकरण में जो क्रूरता है, वह दूसरे प्रकरण में क्रूरता नहीं हो सकती। यह एक ऐसा प्रकरण है जिसका अवधारण प्रत्येक प्रकरण में उस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में रखते हुए किया जाना चाहिए। यदि यह आरोपों और अभियोगों का प्रकरण है, तो उस संदर्भ जिसमें वे लगाए गए थे को भी विचार में रखना होगा।"

17. इसके अतिरिक्त, समर घोष विरुद्ध जया घोष² प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दृष्टांत प्रकरणों को रेखांकित किया जहाँ मानसिक क्रूरता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी

1 (1994) 1 SCC 337

2 1 (2007) 4 SCC 511



न्यायालय के युगलपीठ ने देवकी नंदन दास विरुद्ध श्रीमती मनोरमा दास³ प्रकरण में इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण किया था। इन निर्णयों के सुसंगत अनुच्छेद नीचे उद्धृत हैं:

• समर घोष (पूर्वोक्त)

“101. मार्गदर्शन के लिए कोई एकसमान मानक कभी प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, फिर भी हम मानवीय व्यवहार के कुछ उदाहरणों को सूचीबद्ध करना उचित समझते हैं जो “मानसिक क्रूरता” के मामलों से निपटने में सुसंगत हो सकते हैं। आगे के कण्डिकाओं में दिए गए उदाहरण केवल दृष्टांत हैं, संपूर्ण नहीं:

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। एक जीवनसाथी में दूसरे जीवनसाथी के आचरण के कारण लंबे समय तक गहन पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकपक्षीय निर्णय मानसिक क्रूरता माना जा सकता है।

(xiv) जहाँ लंबे समय तक लगातार अलगाव रहा हो, वहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन अब सुधार के परे है। विधिक बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद विवाह एक काल्पनिक बंधन बन जाता है। ऐसे मामलों में विधि उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; इसके विपरीत, यह पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान व्यक्त करता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।”

• देवकी नंदन दास:

“16. उपरोक्त सिद्धांत और प्रत्यर्थी के वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में आचरण को विचार में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि यातना और नपुंसकता का मिथ्या आरोप किसी भी विवेकशील



व्यक्ति द्वारा कभी सहन नहीं किया जाएगा और यह मानसिक क्रूरता के समान है। प्रत्यर्थी ने स्वयं ऐसे आरोप लगाने के उपरांत स्वेच्छा से वैवाहिक गृह त्याग दिया, इसलिए, संबंध इतना बिगड़ गया है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। पक्षकारों के मध्य विवाह एक काल्पनिकता बन गया है, हालाँकि विधिक बंधन द्वारा समर्थित होने के बावजूद विवाह एक काल्पनिक बंधन बन गया है। ऐसे मामलों में विधि उस बंधन को तोड़ने से इनकार करके विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; इसके विपरीत, यह पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान व्यक्त करता है।।”

18. उपरोक्त कण्डिका वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता पर न्यायालय के दृष्टिकोण की जानकारी प्रदान करते हैं।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों और इस न्यायालय के युगलपीठ द्वारा पारित आदेश के आलोक में, यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी-पत्नी ने पति के विरुद्ध बिना किसी उचित आधार के आरोप लगाए हैं। अपने लिखित बयान और साक्ष्य में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पति लैंगिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। नपुंसकता का आरोप एक गंभीर आरोप है और इस पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसकी संपुष्टि विश्वसनीय साक्ष्य, विशेषकर चिकित्सा साक्ष्य द्वारा हो। यदि कोई पत्नी अपने पति की शारीरिक या लैंगिक अक्षमता के बारे में बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाती है, तो ऐसा आचरण निश्चित रूप से गंभीर मानसिक क्रूरता के समान है। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी बिना किसी वैध कारण के लंबे समय से अपीलार्थी-पति के साथ नहीं रह रही है, और इसके अतिरिक्त, उनके विवाह से किसी संतान का भी जन्म नहीं हुआ है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया, और ठोस कारण बताए बिना, विवाह-विच्छेद की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी-पति द्वारा **क्रूरता** और **अभित्यजन** दोनों आधारों को विधिवत साबित किया गया था।

20. नपुंसकता का निराधार आरोप स्पष्ट रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (ia) के अधीन परिभाषित क्रूरता के दायरे में आता है। आरोप की निराधार प्रकृति ही मानसिक क्रूरता का गठन करती है, जिसके कारण विवाह विच्छेद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पत्नी ने पति के पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंध के बारे में एक गंभीर आरोप लगाया है, जो मिथ्या है और



गंभीर क्रूरता की श्रेणी में आता है। अतः कुटुम्ब न्यायालय ने इस आधार पर अपीलार्थी पति के विवाह-विच्छेद के आवेदन को खारिज करने में त्रुटि की है और यह अभिनिर्धारित करने में भी **घोर अवैधता** कारित की है कि अपीलार्थी-पति क्रूरता और अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग करने के अपने प्रकरण को साबित नहीं कर पाया है।

21. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमारा सुविचारित अभिमत है कि अपीलार्थी ने **हिंदू विवाह अधिनियम** के अधीन अपेक्षित आधारों को सफलतापूर्वक साबित किया है, और इसलिए, कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं और यह अपास्त किए जाने योग्य है।

22. फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। पक्षकारों के मध्य दिनांक **02.06.2013** को संपन्न विवाह का, **विवाह-विच्छेद की आज्ञा** द्वारा **विघटन** किया जाता है।

23. पक्षकारों को अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करना होगा। तदनुसार आज्ञा तैयार किया जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।